

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष – हरिशंकर साहुबगैरह ।

बनाम


वाद सं0 132 / 2022

द्वितीय पक्ष – बडिया मुण्डा बगैरह ।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
19/5/22	<p>उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं० 22/2022 दिनांक 06/11/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) हरिशंकर साहु पिता स्व० राम लोचन साहु (2) कैलाश साहु पिता रामु साहु (3) जितवाहन साहु पिता चामु साहु सभी ग्राम अम्मा पकखना थाना तोरपा जिला खुटी बनाम द्वितीय पक्ष (1) बडिया मुण्डा उम्र 50 वर्ष पिता मंगरा मुण्डा (2) भरमु मुण्डा पिता कमल मुण्डा उम्र 50 वर्ष (3) लोढा मुण्डा उर्फ लोधा मुण्डा पिता कमल मुण्डा उम्र 55 वर्ष (4) भिखु टोपनो पिता कर्मा तोपनो उम्र 30 वर्ष (5) रसिका मुण्डा उर्फ लगन पाहन पिता लोदो मुण्डा उम्र 35 वर्ष (6) लगन तोपनो पिता जेटु तोपनो उम्र 30 वर्ष (7) मठटु बारला पिता दीना बारला उम्र 55 वर्ष (8) जगम तोपनो पिता जेटु तोपनो उम्र 40 वर्ष सभी ग्राम ओरमेंझा थाना कामडारा जिला गुमला के बीच मौजा भूमि लेकर विवाद हैं। फलस्वरूप उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया ।</p> <p align="center">उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :-</p> <p>उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं।</p> <p>अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।</p>	

लेखापित ।




 अनुमण्डल दण्डाधिकारी
 बसिया (गुमला)।